न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़।

उपस्थित – अजय श्रीवास्तव, (एच०जे०एस०)

J.O.Code U.P. 2403

UPAZ010097432025

Criminal Revision/437/2025

1. गिरीश चन्द उपाध्याय आयु लगभग 63 साल पुत्र स्व० सत्येन्द्रनाथ उपाध्याय, साकिन ग्राम कयामुद्दीनपुर पट्टी उर्फ परसहाँ, थाना– निजामाबाद जिला आजमगढ़। ––– निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उ०प्र० सरकार
2. अरविन्द आयु लगभग 35 साल पुत्र राजेन्द्र, पेशा कृषि, साकिन ग्राम कयामुद्दीनपुर पट्टी उर्फ परसहाँ, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. फुरकान अहमद आयु लगभग 30 साल पुत्र नईम अहमद, पेशा कृषि, साकिन ग्राम संजरपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
4. प्रभाकर पाण्डेय आयु लगभग 35 साल पुत्र रामशिकिल पाण्डेय, पेशा कृषि, साकिन ग्राम कयामुद्दीनपुर पट्टी उर्फ परसहां, थाना सरामीर जनपद आजमगढ़।
5. उदय कुमार आयु लगभग 37 साल पुत्र पतिराज पेशा कृषि।
6. विरेन्दर आयु लगभग 29 साल पुत्र बाबूराम पेशा कृषि। –––विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, प्रार्थना पत्र संख्या–1606/225 गिरीशचन्द उपाध्याय बनाम अरविन्द आदि, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–10 आजमगढ़ द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित 14.10.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने आवेदक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173 (4) द०प्र०सं० को निरस्त किया है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष आवेदक धारा–173(4) BNSS के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के गाँव के मो० शौकत अली व मो० अली ने अपनी आबादी नं०–327 रकबा 104 कड़ी का रजिस्टर्ड बैनामा प्रार्थी की माँ इन्द्रपति पत्नी श्री सत्येन्द्रनाथ के नाम दिनांक 04.03.2023 को लिख दिया। उक्त

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.06.10 13:29:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमीन पर कब्जा दखल करा दिया। प्रार्थी अपनी जमीन पर निर्माण करा रहा था कि प्रार्थी के गाँव के रहने वाले प्रभाकर पाण्डेय पुत्र रामसकील पाण्डेय, जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध हत्या फोरजरी व गैंगेस्टर, आर्म्स एक्ट व जहरीली शराब आदि के मुकदमें चल रहे हैं, उसने साजिश करके गाँव के ही अरविन्द पुत्र राजेन्द्र को मिलाकर एक फर्जी बैनामा दिनांक 29.05.2025 को, इसी जमीन जो प्रार्थी ने 327 का बैनामा लिया था, को प्रभाकर पाण्डेय ने फुरकान अहमद पुत्र नईम साकिन संजरपुर, थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़ को प्रार्थी की रजिस्ट्री बैनामा में उल्लिखित चौहद्दी दिखाकर छल प्रपंच व जाल फरेब करके कूटरचित ढंग से आफिस निजामाबाद में बैनामा करा दिया है, जबकि उक्त आराजी नं०–327 से अरविन्द का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है न ही उस जमीन पर उसका कब्जा आदि रहा है। उक्त प्रभाकर पाण्डेय प्रार्थी की बैनामाशुदा जमीन को हड़पना चाहता है, वह अपराधी व्यक्ति है। उक्त बैनामा दिनांक 29.05.2025 जाल फरेब करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करा कर गाँव के ही अपने मेली साजिशी उदयकुमार पुत्र पतिराम व विरेन्द्र पुत्र बाबूराम को हासिया गवाह बनाकर फर्जी बैनामा कराया है। उनके द्वारा यह कृत्य आपराधिक षड़यंत्र, धोखाधड़ी व कूटरचित बैनामा गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन लोगों के विरूद्ध आपराधिक वाद दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रभाकर पाण्डेय, प्रार्थी को धमकी देता है कि यह जमीन उसने अपने लिए ली है, आओगे तो तुम्हारी हत्या कर दूँगा। प्रार्थी इस सम्बन्ध में थाना मुकामी पर दरखास्त दिया कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को जरिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

3. सुनवाई के उपरांत अवर न्यायालय द्वारा आवेदक की तरफ से प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अदालत मातहत ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया है। निगरानीकर्ता असली भूस्वामी से जमीन को अपनी माँ के नाम से बैनामा कराया है। वह किसी अन्य की नहीं रही है। असल भूस्वामी का कब्जा था तथा उन्होंने निगरानीकर्ता की माँ के नाम से दिनांक 04.03.2023 को बैनामा कर दिया है जो हर तरह से चौहद्दी से साबित है। विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र सिविल नेचर का बता कर खारिज कर दिया, जबकि निगरानीकर्ता का बैनामा जायज व असल भूस्वामी से लिया गया है तथा गवाहान स्वच्छन्द एवं बिना दबाव के हैं। इसी जमीन को अभियुक्तगण द्वारा जाली फर्जी व कूटचित तरीके विपक्षी सं०–2 ने विपक्षी सं०–3 को बिना अधिकार के निगरानीकर्ता की चौहद्दी दिखा कर, विपक्षी सं०–4 की साजिश व कूटरचित ढंग से तथा विपक्षी सं०–5 व 6 को साजिश में करके गवाह बना कर निगरानीकर्ता की

जमीन की चौहद्दी दिखा कर बैनामा कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा आराजी सं०–327 को विवादित बताया गया है कि बंटवारे का मुकदमा विचाराधीन है, जबकि कोई मुकदमा बंटवारे का विचाराधीन नहीं है एवं न ही शौकत अली व मो० अली के विरूद्ध कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन है। निगरानीकर्ता की जमीन से विपक्षीगण का कभी कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है एवं न ही है। विपक्षीगण बदनियती व कूटरचित ढंग से साजिश में होकर निगरानीकर्ता की जमीन को बेच दिया गया है तथा आये दिन हत्या करने की धमकी दी जा रही है। विपक्षीगण के विरूद्ध केस बन रहा है। विपक्षीगण की एक गोल है जिसमें विपक्षीगण भूमाफिया हैं तथा ये लोग प्रभाकर की साजिश में होकर फोर्जरी का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तथा अभी एक फोर्जरी के मामले में जेल में निरुद्ध है, जिसकी जमानत न्यायालय से खारिज हो चुकी है। निगरानीकर्ता की जमीन के बाबत भूस्वामी ने जांच में बयान दिया है जिससे विपक्षीगण द्वारा जो कूटरचित ढंग से निगरानीकर्ता की जमीन को जाली फर्जी तरीके से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, वह विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने उपलब्ध साक्ष्य, मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों का बिना ध्यान दिये आदेश पारित कर दिया है, जो विधि विरूद्ध एवं निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त कारणों से निगरानी स्वीकार कर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त करने की याचना की गयी।

5. मौखिक रूप से बहस करते हुये निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में लिये गये आधारों को मूल मुद्दा बताते हुये निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा निगरानी का विरोध यह कहकर किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

7. निगरानी निर्णीत करते समय निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है। बी.एन.एस.एस. की धारा–440 के तहत उसे मात्र अवर न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य पर ही अपना मत प्रस्तुत करना होता है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 14.10.2025 को चुनौती दी गयी है। उक्त आदेश जरिये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस. को यह कहकर निरस्त कर दिया गया था कि प्रकरण बैनामा निरस्तीकरण से संबंधित है और मूल रूप से सिविल प्रकृति का है।

9. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वास्तव में प्रकरण में दो बैनामे, एक ही जमीन आबादी सं०- 327 रकबा 104 कड़ी से संबंधित है। निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि उसने अपनी माता के नाम उक्त जमीन का बैनामा दिनांक 04.03.2023 को ही विपक्षी शौकत अली से लिखवा लिया था, जबकि विपक्षीगण द्वारा उक्त बैनामा छल-कपटपूर्वक कराकर दिनांक

29.05.2025 को निगरानी के विपक्षी सं०-4 प्रभाकर पाण्डेय को कर दिया गया है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट रूप से एक ही जमीन के दो बैनामे किये जाने की बात कही गयी है। पत्रावली के परिशीलन, उभय पक्षों के तर्कों एवं थाने से प्राप्त विस्तृत प्रारम्भिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि दिनांक 04.03.2023 को बैनामा शौकत अली द्वारा किया गया था और यद्यपि उस जमीन को संबंधित अन्य सहखातेदार द्वारा मुकदमा दाखिल किये जाने की बात की गयी है, परन्तु इस तथ्य से कहीं भी इंकार नहीं किया गया है कि शौकत अली का भी विवादित भूमि में अंश (Share) था, अर्थात् नियमानुसार उसे अपनी जमीन बेचने का पूरा अधिकार था। यह भी सुसंगत है कि जिस सिविल वाद को लम्बित होने की बात कही है, वह सिविल वाद वर्ष 2025 में अवर न्यायालय में दाखिल किये जाने की बात की गयी है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा लिया गया बैनामा सन् 2023 का है।

11. प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि निगरानी के विपक्षी सं०-2, जिसके द्वारा विपक्षी सं०-4 के पक्ष में बैनामा करने की बात कही गयी है, उसे ऐसा करने का विधिक अधिकार था और उसने ऐसा कृत्य किस आशय से किया?

12. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि थाने से प्राप्त आख्या में निगरानी के विपक्षी सं०-2 अरविन्द सोनकर जिनके द्वारा वर्ष 2025 में दिनांक 29.05.2025 को बैनामा करने की बात बतायी गयी है, वह मात्र उस जमीन पर पतई डाला करते थे औऱ उस जमीन को अपनी बताते थे। इससे यही आशय निकलता है कि उक्त जमीन उनकी खुद की नहीं था और वह मात्र कब्जे के आधार पर उसको अपनी जमीन बताते थे।

13. निगरानी के स्तर पर इस न्यायालय के मानना है कि कब्जा, बैनामा किये जाने का आधार नहीं हो सकता और वह भी तब, जबकि विपक्षी सं०-2 तथा अन्य विपक्षीगण को यह पता था कि पूर्व में एक बैनामा इस जमीन को सहखातेदार शौकत अली द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में किया जा चुका है।

14. स्पष्ट है कि इन बातों को जानते हुये भी विपक्षी सं०-2 अरविन्द सोनकर द्वारा जो बैनामा सन् 2025 में किया गया वह कपटपूर्ण आशय से और धोखाधड़ी करते हुये किया गया है, जिसकी जाँच वास्तव में नियमानुसार विवेचना के उपरान्त पुलिस से किया जाना आवश्यक था। ऐसे में निगरानी के स्तर पर इस न्यायालय का मानना है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रकरण को मात्र सिविल प्रकृति का बताकर निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस. को निरस्त करके विधिक भूल की है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी 437/2025 स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-10, आजमगढ़ द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 14.10.2025 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निगरानी निर्णय में व्यक्त किये गये अभिमत के आलोक में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिपूर्ण आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। पक्षकार दिनांक 23.06.2026 को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

आदेश की एक प्रति अवर न्यायालय की पत्रावली के साथ शीघ्र वापस की जाए। फौजदारी निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 10.06.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403